

दिनांक

आज्ञा पत्र

5-3-18



पत्रावली वाले कांड में आवेदन बाकत
 अबेलेमेंट पेय हुई। उक्त पक्ष के
 अधिवक्तागण की आवेदन बाकत अबेलेमेंट
 पर पूर्व में बहस हुई जो युकी है
 बहस पर गौर किया। उपरोक्त रिपोर्ट
 का अवलोकन किया।
 आवेदन के क्रमांक अपील नं. 1 समतल
 पुत्र रामकुमार का देहांत 9.9.2012
 को होता जा रहा कि जिसका रजिस्ट्रेशन अपील नं. 2
 द्वारा नहीं किया गया है।

[Handwritten Signature]
 पञ्चम अधिकारी एवं
 पतेन राजार अपील अधिकारी
 सांकर

इपील पत्रावली की आईटीसी दिनांकित

Web Copy - Not Official



23-4-14 के अंग 2 वकील रखा जाए

व्यापार के मध्य इस बात जानकारी
 की दे दी गई है थी किन्तु लगभग 3
 वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी कागद
 मुकाम की कार्रवाई नहीं की गई थी
 प्रावधानों के अंगुल का मु मु
 कार्रवाई मुख्य के 90 दिवस में
 भीतर करनी होती है किन्तु प्रकरण में
 लगभग 3 वर्ष से कार्रवाई नहीं की
 गई है तथा न ही इस बात
 कोई आवेदन पेश कर विवेक
 बाकत कोई लिखित ही स्मरण की
 गई है। इससे कार्रवाई प्रावधानों
 के अंगुल अपील Automatic रूप
 से अवेर हो चुकी है। अतः किन्तु
 प्रथम से आवेदन की आवश्यकता
 नहीं है। चूँकि Abatement का
 set aside का कोई आवेदन भी
 नहीं है अतः अवेरमेंट अतिरिक्त
 हो चुका है। इस सम्बंध में वकील
 अपील का यह तर्क कि अपील
 सम्पूर्ण रूप से अवेर नहीं होगी,
 मान्य नहीं है, चूँकि दोनों अपीलों
 का अन्तर्गत समान था। अतः
 अपील सम्पूर्ण रूप से अवेर हुई
 माना जाएगा। इसके साथ ही प्रमाण
 में प्रकृत अपील नं. 2 प्रकरण का
 सगा भाई है, जिसकी प्रत्येक की प्रकृत
 नहीं होने बाकत अवधारणा कि
 जान भी उचित नहीं है।



इस विवेक के आधार पर आवेदन

पुनः भू-मालिक

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

..... बनाम

किस्म मुकदमा मु. नं० वर्ष.....

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	<p>अपीलेंट खारेज की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुक्रा होर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में हुनात जान।</p> <p> भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर</p>	